यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी के माह 04/2013 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयन्त, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.09.2018 से 07.09.2018 तक श्री प्रेम चन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 08/2018 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- यमकेश्वर, पौड़ी।

(ii)(अ) विगत पांच वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	104.82	91.91	3.49	3.18	-	13.22
2013-14	-	-	119.98	119.98	4.36	4.36	-	-
2014-15	-	-	149.49	148.69	4.16	3.68	-	1.28
2015-16	-	-	140.98	140.98	9.27	9.27	-	-
2016-17	-	-	150.07	150.07	15.36	15.36	-	-
2017-18	-	-	180.68	180.68	21.28	21.28	-	-
2018-19 (08/18)			196.24	75.61	15.22	1.80	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
राजिस्ट्रार कानूनगो
राजस्व निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक
नायब नाजिर
संग्रह अमीन
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016, 03/2017 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1- अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की धनराशि रू 28.65 लाख विगत कई वर्षों से बैंक खातों में अवरूद्ध रखना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित सूचनाओं तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया कि तहसील द्वारा विभिन्न केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त निधियों के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक, बृगुखाल कोटद्वार पौड़ी में दो बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। संदर्भित खाते तहसीलदार यमकेश्वर के पदनाम से थे। उक्त खातों में 31 अगस्त, 2018 को खाता सख्या- 11791958017 में रू 38.44 लाख तथा खाता संख्या- 33627585835 में रू 0.69 लाख अर्थात उक्त दोनों खातों में रू 39.13 लाख की धनराशि जमा थी। उक्त दोनों खातों की कुल धनराशि में रू 10.48 लाख विज्ञ मदों की धनराशि थी जिसका भुगतान लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित था तथा शेष धनराशि रू 28.65 लाख विगत कई वर्षों से अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदो की अवरूद्ध पड़ी थी। जिसके सम्बंध में उच्चाधिकारी से पत्राचार करके निस्तारण किया जाना चाहिए था, जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रश्नगत धनराशि के सम्बंध में तहसील स्तर पर समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जायेगा। विभाग के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तरः2-</u> पटवारियों को आवंटित पटवारी चौकियों के एच0आर0ए0 की धनराशि रू 58240/ वसूली लम्बित रहना।

तहसीलों के अन्तर्गत निर्मित पटवारी चौकियॉ, सम्बंधित पटवारी को आवास व कार्यालय हेतु आंवटित की जाती है। जिन पटवारियों को चौकी आंवटित की जाती है उनको एच0आर0ए0 अनुमन्य नहीं किया जाता।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी के वेतन पंजिकाओं की जांच में पाया गया कि अद्योलिखित पटवारियों/उप-निरीक्षकों को पटवारी चौकी आंवटन के बाबजूद भी एच0आर0ए0 दिया जा रहा था। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 स0	पटवारी/उ0नि0 का नाम	अवधि		कुल दिया गया एच0आर0ए0 की धनराशि
		कब से	कब तक	
1	श्री वृजभूषण वमराडा, रा0उ0नि0	01/2015	06/2018	42x1120= 47040
		07/2018	07/2018	01x1680= 1680
2	श्री कमल किशोर शर्मा, रा0उ0नि0	04/2018	06/2018	03x1120= 3360
		07/2018	07/2018	01x1680= 1680
3	कु0 शिवानी नेगी, रा0उ0नि0	04/2018	07/2018	04x1120= 4480
			योग	58240

जबकि उक्त पटवारियों के वेतन से एच0आर0ए0 की धनराशि काटी जानी चाहिए थी। अर्थात एच0आर0ए0 उक्त पटवारियों को नही दिया जाना चाहिए था। जोकि लेखापरीक्षा तक दिया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> विविध देयों/ आर0सी0 की धनराशि रू 3.77 लाख वसूली हेतु लम्बित रहना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी के विविध देयों/आर0सी0 से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 तक विविध देयों में रू 3.77 लाख की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित थी। जबकि दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। जिनका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	कुल विविध देयों/ आर0सी0 की वसूली हेतु लम्बित धनराशि
2016-17	1.30
2017-18	2.47
योग	**3.77**

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 57.16 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण न किया जाना।

कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी के मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बंधित पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक जिलाधिकारी से कुल रू 57.16 लाख की धनराशि उक्त कोष के अन्तर्गत प्राप्त थी। कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तहसील द्वारा रू 57.16 लाख का व्यय किया गया था। सदंर्भित वित्तीय वर्षों में व्यय की गयी उक्त धनराशि का उपभोग के बाद जिलाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने चाहिए थे। जो लेखापरीक्षा तिथि तक तहसील द्वारा प्रेषित नहीं किये गये थे। आगे पंजिकाओं के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंजिका का वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक न तो मासिक लेखाबन्दी की जा रही थी न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवायी जा रही थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पंजिका की लेखाबन्दी कर दी जायेगी तथा उच्चाधिकारी को प्रेषित किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के सम्बंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।			

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री डी0पी0 सिंह	उपजिलाधिकारी	11.03.2014	26.11.2015
2	श्री जी0आर0 विनवाल	उपजिलाधिकारी	27.11.2015	28.09.2016
3	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	उपजिलाधिकारी	28.09.2016	27.11.2016
4	श्री सोहन सिंह सैनी	उपजिलाधिकारी	28.11.2016	23.07.2017
5	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	उपजिलाधिकारी	31.07.2017	11.01.2018
6	श्री कमलेश मेहता	उपजिलाधिकारी	11.01.2018	07.07.2018
7	श्री किशन सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	07.07.2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र